मध्यप्रदेश विधान सभा

जून—अगस्त, 1990 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 25 जुलाई, 1990 (श्रावण 3, 1912)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री रामविचार नेताम, सदस्य, सरगुजा जिले के पाल विधान सभा क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध न होने की ओर राज्य मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री विश्वभरनाथ पाण्डेय, मनीष कुंजाम, बारसा दुलाराम, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम टीकर में वन कर्मियों द्वारा श्रमिकों के साथ अमानवीय व्यवहार किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य:—

(क) भोपाल स्थित हर्षवर्धन नगर में स्ट्रीट लाईट एवं चौराहों पर सोडियम वेपर लाईट लगाये जाने के संबंध में 10 व्यक्तियों की,

(ख) भोपाल शहर के हर्षवर्धन नगर में सड़कों पर डामरीकरण, सीवेज लाईन का निर्माण एवं बाल उद्यान का विकास कराने के संबंध में 9 व्यक्तियों की, तथा

(ग) अरेरा कालोनी, ई-3 सेक्टर में उद्यान के लिए आरक्षित जगह पर उद्यान बनाये जाने के संबंध में 11 व्यक्तियों की

याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री आरिफ अकील, सदस्य:—

(क) भोपाल शहर की नवबहार सब्जी मंडी के अतिक्रमण हटाओ मुहिम से प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्स्थापित करने एवं मुआवजा दिलवाने के संबंध में 35 व्यक्तियों की,

(ख) भोपाल शहर स्थित दवाईयों की दुकानों को रात्रि 10 बजे के बाद भी खोले जाने के संबंध में 50 व्यक्तियों की, तथा

(ग) भोपाल में काजी कैम्प स्थित वकफिया भूमि से अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान विस्थापित व्यवसाईयों के पुनर्वास एवं मुआवजा दिलाने के संबंध में 26 व्यक्तियों की

याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री लक्ष्मण जयदेव सतपथी, सदस्य, जिला रायपुर के सांकरा रानी मंडल, जो कि वर्तमान में महासमुन्द तहसील में है, को सराईपाली तहसील में सम्मिलित किये जाने के संबंध में 32 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

(4) श्री गंगूराम बघेल, सदस्य, जिला रायपुर की उप तहसील बारंग को पूर्ण तहसील का दर्जा दिलाये जाने के संबंध में 16 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

(5) श्री रामसिंह धुर्वे, सदस्य, जिला मंडला, विधान सभा क्षेत्र शहपुरा की कनैई नदी पर बांध बनाये जाने एवं 10 हार्स पावर की मोटर लगाकर पेयजल प्रदाय किये जाने के संबंध में 25 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

(6) श्री डेरहू प्रसाद धृतलहरे, सदस्य, जिला दुर्ग के ग्राम नंदकठी की अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को शासनाधीन किये जाने के संबंध में 25 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

(7) श्री पूरनसिंह पलैया, सदस्य, जिला ग्वालियर के ग्राम घोघा-बिलऊआ मार्ग पर डामरी करण कराने एवं 2 पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में 12 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

4 शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री बाबूलाल जैन, वाणिज्यिक कर मंत्री, भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 (क्रमांक 17 सन् 1990) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री भेरूलाल पाटीदार, पंचायत मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज विधेयक, 1990 (क्रमांक 19 सन् 1990) के पुरः स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरः स्थापित करेंगे.

(3) श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 3) विधेयक, 1990 (क्रमांक 18 सन् 1990) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

भोपाल :
दिनांक 24 जुलाई, 1990.

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.